सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राजभाषा का क्रियान्वयन

1946. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय द्वारा 1985-86 के वार्षिक हिन्दी प्रगामी कार्यक्रम को पूरा कर लिये जाने की संभावना है ;

(ख) मंत्रालय के उन कार्यालयों के क्या नाम हैं जहां सारा कार्य राजभाषा में किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'ना' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) राजभाषा के प्रयोग संबंधी वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं । हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं । मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों को भी हिन्दी में भेजने के लिए प्रयास किए जाते हैं । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागज-पत्रों को भी यथासंभव अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जारी किया जाता है ।

(ख) और (ग) इस समय इस मंत्रालय के किसी भी कार्यालय में सारा कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण नहीं हैं या उनको हिन्दी में कार्य करने की आदत नहीं है । उनको अपना सरकारी काम अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी में करने के लिए समय -समय पर प्रोत्साहित किया जाता है ।

राजभाषा का क्रियान्वयन

1947. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली 'क' क्षेत्र में कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे विभागीय कार्यालयों/अनुसंधान संस्थानों की संख्या कितनी है और क्या इन कार्यालयों और संस्थानों में राजभाषा क्रियान्वयन समिति गठित की गई है,

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए क्या विभाग वर्ष 1985-86 के लिए कार्यक्रमों को पूरा कर सकने की स्थिति में है ;

(ग) किन-किन कार्यालयों और संस्थानों में केवल राजभाषा में कार्य किया जा रहा है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो तो इसके क्या कारण हैं

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (ती योगेन्द्र मकवाणा) : (क) दिल्ली क्षेत्र (क) में कृषि मंत्रालय की अधीन कार्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि की संख्या और गठित की गई राजभाष कार्यान्वयन समितियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है ।

विभाग का नाम	दिल्ली स्थित कार्यालयों की संख्या	उन कार्यालयों की संख्या जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनी हुई हैं
कृषि और सहकारिता	23	17
ग्राम विकास	2	—
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4	4
उर्वरक	3	3

उल्लेखनीय है कि राजभाषा कार्यान्वयन समितियां उन कार्यालयों में गठित की जाती हैं जिनमें (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) 25 से अधिक कर्मचारी हों ।

(ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के वास्ते राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा अपने अधीन कार्य कर रहे सभी कार्यालयों, संस्थानों आदि को भेजा गया था । राजभाषा कार्यों में राजभाषा का उपयोग बढ़े यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संबंधित कार्यालयों, संस्थानों आदि को उक्त वार्षिक कार्यक्रम लागू करने का निदेश दिया गया था । वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा निरीक्षणों के जरिए नजर रखी जाती है । तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी सलाहाकार समिति की बैठकों में की जाने वाली समीक्षा भी शामिल है । जहां वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां पाई जाती है । उन कमियों को जहां तक सम्भव हो सके दूर करने के लिये कार्रवाई की जाती है । मंत्रालय इन उपायों के जरिए 1985-86 के लिये वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने की आशा रखता है ।

(ग) ऐसे कोई कार्यालय या संस्थान नहीं हैं जिनमें सारा काम राजभाषा में किया जा रहा है ।

(घ) कार्यालयों या संस्थानों के काम की किस्म, इस समय वहां के सभी कर्मचारियों को राजभाषा के इस्तेमाल की प्रवीणता प्राप्त न होने और आशुलिपि एवं टाइपिंग आदि की सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण अभी तक किसी भी कार्यालय को राजभाषा में सारा काम करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है । वैसे, राजभर्ती कार्यों में राजभाषा का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से कुछेक ऐसे अनुभागों और विषयों का चयन करने के लिये कार्रवाई की जा रही है, जिनमें सारा कार्य राजभाषा में ही किया जा सकता हो ।

Plots for weaker sections of the Society in DDA Schemes

1948. SHRI NAND KISHORE BHATT: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state whether Government are considering any proposal to release smalt plots for weaker and middle sections of the society in DDA residential schemes other than the Rohini Scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): A "Scheme for providing developed plots for self-help housing to lower strata of the society economically weaker sections including squatters linked with affordability", has been included in the Seventh Five Year Pran for the Union Territory of Delhi as a development scheme of DDA.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद

1949. **श्री अच्छेलाल बाल्मीक** : क्या शहरी **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के कई पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां , तो उनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके अतिरिक्त काडर पुनरीक्षण के पश्चात् कुछ और रिक्तियां भी भरी जानी हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 15 से 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् भी सहायक अभियन्ता (सिविल) पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं ?

(घ) सरकार नियमित पदोन्नतिया देकर अधिशासी अभियन्ताओं के पद कब तक भरने का विचार रखती है ; और

(ङ) सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति पाने के लिए पात्रता की निर्धारित अवधि क्या है ?